

मध्यस्थता वधियक, 2021 पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

प्रलिस के लिये:

मध्यस्थता वधियक, स्थायी समिति, मध्यस्थता परिषद ।

मेन्स के लिये:

नए मध्यस्थता वधियक का महत्त्व, विवाद नविवरण तंत्र, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता वधियक, 2021 में पर्याप्त बदलाव की अनुशंसा की है ।

- न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से यह वधियक दिसंबर, 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था ।
- जैसे ही वधियक को राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा के सभापति ने इसे जाँच के लिये भेज दिया ।

पैनल द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- **पूर्व मुकदमेबाज़ी:**
 - पैनल ने पूर्व-मुकदमेबाज़ी मध्यस्थता की अनविरयता की प्रकृति सहित कई प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला ।
 - मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को आवश्यक बनाने के परिणामस्वरूप मामले में देरी हो सकती है क्योंकि यह मामले के नपिटान में वलंब करने के लिये यह एक और साधन प्रदान कर सकता है ।
- **खंड 26:**
 - पैनल मसौदे के 26 वें खंड के खिलाफ था जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को उनके अनुसार पूर्व-मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ।
- **गैर-व्यावसायिक विवादों के संदर्भ में इसका लागू न होना:**
 - सदस्यों ने सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर-व्यावसायिक प्रकृतिके विवादों/मामलों पर वधियक के प्रावधानों के लागू न होने पर सवाल उठाया ।
- **नयिकृतियाँ:**
 - पैनल ने प्रस्तावित मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता व नयिकृतिके संबंध में भी चर्चा की ।

सफारिशें:

- **पूर्व मुकदमेबाज़ी:**
 - इसने पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को वैकल्पिक बनाने की सफारिश की और सभी नागरिक तथा वाणज्यिक विवादों के लिये इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से पेश किया ।
 - वाणज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को लागू करते समय अन्य मामलों की श्रेणियों में इसे अनविरय करने से पहले अध्ययन किया जाना चाहिये ।
- **अध्यक्ष की नयिकृति:**
 - पैनल ने सफारिश की कि केंद्र सरकार एक चयन समितिके माध्यम से भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नयिकृति कर सकती है ।
 - वधियक में यह कहा गया था कि 'वैकल्पिक विवाद समाधान' से संबंधित समस्याओं से नपिटने वाले लोग मध्यस्थता में 'क्षमता', 'ज्ञान और अनुभव' के आधार पर परिषद के सदस्य व अध्यक्ष बन सकते हैं ।
- **प्रत्येक राज्य में चकितिसा परिषद की स्थापना:**
 - भारतीय मध्यस्थता परिषद को आवंटित कर्तव्यों और दायित्वों की विशाल शृंखला को देखते हुए प्रत्येक राज्य में मध्यस्थता परिषदों की

स्थापना की जानी चाहिये।

- इन राज्य मध्यस्थता परिषदों को भारतीय मध्यस्थता परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत ऐसे कार्यों को करना चाहिये जो वह नरिदष्टि कर सकते हैं।

■ वशिष्ट पंजीकरण संख्या

- मध्यस्थता परिषद को प्रत्येक मध्यस्थ के लिये एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी करना चाहिये और उन प्रावधानों को बलि में शामिल करना चाहिये ताकि मध्यस्थता परिषद को नियमिति रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजति करके मध्यस्थ का लगातार मूल्यांकन करने की अनुमति मिलि सके तथा वार्षकि आधार पर मध्यस्थता का संचालन करने के लिये पात्र बनने हेतु मध्यस्थ एक न्यूनतम संख्या में क्रेडिट अंक अर्जति कर सकें।
- मध्यस्थों को पंजीकृत करने वाले कई नकियों के बजाय, प्रस्तावति मध्यस्थता परिषद को मध्यस्थों के पंजीकरण और मान्यता के लिये नोडल प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये।

■ समय-सीमा को कम करना:

- पैनल ने समय-सीमा को 180 दिनों से घटाकर 90 दिनि करने और 180 दिनों के बजाय 60 दिनों की वसितार अवधि की सफिरशि की।

■ फरि से परभिषति करना:

- उन्होंने मध्यस्थता की नई परभिषा को फरि से तैयार करने की भी सफिरशि की और इसे खंड 4 के तहत अलग से नहीं रखा क्योंकि यह पहले से ही खंड 3 में दी गई है।

मध्यस्थता वधियक, 2021 की मुख्य वशिषता:

- वधियक का उद्देश्य न्यायालय या टरबियूनल के हस्तकषेप की मांग करने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी नागरकि या वाणजियकि वविाद को नपिटाना है।
- दो मध्यस्थता सत्रों के बाद एक पक्ष मध्यस्थता से हट सकता है।
- मध्यस्थता प्रकरिया को 180 दिनों के भीतर पूरा कया जाना चाहिये, जिसे 180 दिनों के लिये और बढ़ा सकते हैं।
- पूरी प्रकरिया को वनियमिति करने के लिये [भारत मध्यस्थता परिषद](#) की स्थापना की जाएगी।
 - इसके कार्यों में मध्यस्थों को पंजीकृत करना और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता देना शामिल है।
- इसके अलावा मध्यस्थता के परणामस्वरूप होने वाले समझौते बाध्यकारी और न्यायालय के नरिण्यों के समान ही लागू करने योग्य होंगे।

मध्यस्थता:

- मध्यस्थता एक [स्वैच्छकि, बाध्यकारी प्रकरिया](#) है जिसमें एक नषिपक्ष और तटस्थ मध्यस्थ वविादति पक्षों के बीच समझौता कराने में मदद करता है।
- मध्यस्थ वविाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें वविादति पक्ष अपने सभी वविादों को हल कर सकते हैं।
- मध्यस्थता वविाद समाधान का एक [आजमाया हुआ और परखा हुआ वैकल्पकि](#) तरीका है। यह [दल्लि, रांची, जमशेदपुर, नागपुर, चंडीगढ एवं औरंगाबाद](#) शहरों में सफल साबति हुआ है।
- मध्यस्थता एक [संरचित प्रकरिया](#) है जहाँ एक तटस्थ व्यक्त विशिष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है तथा मध्यस्थता प्रकरिया में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से इसका समर्थन कया जाता है।
- मध्यस्थता के अलावा कुछ अन्य वविाद समाधान वधियों जैसे- [वविाचन \(Arbitration\)](#), [बातचीत \(Negotiation\)](#) और [सुलह \(Conciliation\)](#) हैं।
- मध्यस्थता एक प्रकार का वैकल्पकि वविाद समाधान है क्योंकि वे मुकदमेबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं।
 - ADR कार्यवाही पार्टियों द्वारा शुरू की जा सकती है या कानून, न्यायालय या संवदिात्मक प्रावधानों द्वारा अनविर्य है।



//

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliamentary-standing-committee-report-on-mediation-bill-2021>